

# INTERNATIONAL JOURNAL FOR LEGAL RESEARCH AND ANALYSIS



Open Access, Refereed Journal Multi Disciplinary  
Peer Reviewed

[www.ijlra.com](http://www.ijlra.com)

## DISCLAIMER

No part of this publication may be reproduced, stored, transmitted, or distributed in any form or by any means, whether electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without prior written permission of the Managing Editor of the *International Journal for Legal Research & Analysis (IJLRA)*.

The views, opinions, interpretations, and conclusions expressed in the articles published in this journal are solely those of the respective authors. They do not necessarily reflect the views of the Editorial Board, Editors, Reviewers, Advisors, or the Publisher of IJLRA.

Although every reasonable effort has been made to ensure the accuracy, authenticity, and proper citation of the content published in this journal, neither the Editorial Board nor IJLRA shall be held liable or responsible, in any manner whatsoever, for any loss, damage, or consequence arising from the use, reliance upon, or interpretation of the information contained in this publication.

The content published herein is intended solely for academic and informational purposes and shall not be construed as legal advice or professional opinion.

**Copyright © International Journal for Legal Research & Analysis.  
All rights reserved.**

## ABOUT US

The *International Journal for Legal Research & Analysis (IJLRA)* (ISSN: 2582-6433) is a peer-reviewed, academic, online journal published on a monthly basis. The journal aims to provide a comprehensive and interactive platform for the publication of original and high-quality legal research.

IJLRA publishes Short Articles, Long Articles, Research Papers, Case Comments, Book Reviews, Essays, and interdisciplinary studies in the field of law and allied disciplines. The journal seeks to promote critical analysis and informed discourse on contemporary legal, social, and policy issues.

The primary objective of IJLRA is to enhance academic engagement and scholarly dialogue among law students, researchers, academicians, legal professionals, and members of the Bar and Bench. The journal endeavours to establish itself as a credible and widely cited academic publication through the publication of original, well-researched, and analytically sound contributions.

IJLRA welcomes submissions from all branches of law, provided the work is original, unpublished, and submitted in accordance with the prescribed submission guidelines. All manuscripts are subject to a rigorous peer-review process to ensure academic quality, originality, and relevance.

Through its publications, the *International Journal for Legal Research & Analysis* aspires to contribute meaningfully to legal scholarship and the development of law as an instrument of justice and social progress.

## ***PUBLICATION ETHICS, COPYRIGHT & AUTHOR RESPONSIBILITY STATEMENT***

The *International Journal for Legal Research and Analysis (IJLRA)* is committed to upholding the highest standards of publication ethics and academic integrity. All manuscripts submitted to the journal must be original, unpublished, and free from plagiarism, data fabrication, falsification, or any form of unethical research or publication practice. Authors are solely responsible for the accuracy, originality, legality, and ethical compliance of their work and must ensure that all sources are properly cited and that necessary permissions for any third-party copyrighted material have been duly obtained prior to submission. Copyright in all published articles vests with IJLRA, unless otherwise expressly stated, and authors grant the journal the irrevocable right to publish, reproduce, distribute, and archive their work in print and electronic formats. The views and opinions expressed in the articles are those of the authors alone and do not reflect the views of the Editors, Editorial Board, Reviewers, or Publisher. IJLRA shall not be liable for any loss, damage, claim, or legal consequence arising from the use, reliance upon, or interpretation of the content published. By submitting a manuscript, the author(s) agree to fully indemnify and hold harmless the journal, its Editor-in-Chief, Editors, Editorial Board, Reviewers, Advisors, Publisher, and Management against any claims, liabilities, or legal proceedings arising out of plagiarism, copyright infringement, defamation, breach of confidentiality, or violation of third-party rights. The journal reserves the absolute right to reject, withdraw, retract, or remove any manuscript or published article in case of ethical or legal violations, without incurring any liability.

# महिलाओं के विरुद्ध अपराध: एक विधिक, सामाजिक एवं न्यायिक विश्लेषण

लेखक - राजाराम मोहनिया

IJLRA

# महिलाओं के विरुद्ध अपराध: एक विधिक, सामाजिक एवं न्यायिक विश्लेषण

## शोध पत्र

### विषय-सूची

1. सारांश
2. प्रस्तावना
3. शोध समस्या
4. शोध के उद्देश्य
5. शोध परिकल्पना
6. शोध प्रश्न
7. शोध पद्धति
8. महिलाओं के विरुद्ध अपराध की अवधारणा एवं प्रकृति
9. महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के प्रमुख स्वरूप
10. भारतीय न्याय संहिता, 2023 का विश्लेषण
11. महिलाओं के संरक्षण संबंधी विशेष अधिनियम
12. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की भूमिका
13. महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय
14. महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के कारण
15. विधिक व्यवस्था की चुनौतियां
16. महिला सुरक्षा के लिए सुधारात्मक सुझाव
17. शोध निष्कर्ष
18. उपसंहार
19. संदर्भ सूची

### अध्याय 1: सारांश (Abstract)

महिलाओं के विरुद्ध अपराध आधुनिक भारतीय समाज की एक गंभीर विधिक, सामाजिक एवं मानवाधिकार संबंधी समस्या है। भारतीय संविधान महिलाओं को समानता, स्वतंत्रता, गरिमा एवं जीवन का अधिकार प्रदान करता है। इसके बावजूद महिलाओं को घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, दहेज मृत्यु, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, मानव तस्करी, पीछा करना, एसिड हमला, साइबर अपराध तथा अन्य प्रकार की हिंसा का सामना करना पड़ता है।

प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के स्वरूप, कारणों, विधिक प्रावधानों, न्यायिक दृष्टिकोण तथा अपराधों की रोकथाम के उपायों का समग्र अध्ययन करना है। इस शोध में भारतीय संविधान, भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 तथा महिलाओं के संरक्षण से संबंधित विशेष अधिनियमों का विश्लेषण किया गया है।

शोध में विशेष रूप से यह परीक्षण किया गया है कि क्या वर्तमान भारतीय विधिक व्यवस्था महिलाओं को वास्तविक एवं प्रभावी न्याय प्रदान करने में सक्षम है। इसके अंतर्गत पुलिस जांच, प्राथमिकी, पीड़िता की निजता, चिकित्सकीय परीक्षण, साक्ष्य संकलन, न्यायिक प्रक्रिया तथा पुनर्वास संबंधी पहलुओं का अध्ययन किया गया है।

NCRB की Crime in India 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के 4,45,256 मामले दर्ज किए गए थे। यह आंकड़ा अपराधों की रिपोर्टिंग एवं पंजीकरण की स्थिति को दर्शाता है, न कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा की संपूर्ण वास्तविक संख्या को।

शोध का निष्कर्ष है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए केवल दंडात्मक कानून पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए विधिक जागरूकता, सामाजिक परिवर्तन, लैंगिक समानता, प्रभावी पुलिस व्यवस्था, शीघ्र न्याय, पीड़िता-केंद्रित प्रक्रिया एवं आर्थिक सशक्तीकरण आवश्यक है

**मुख्य शब्द (keywords)-** के विरुद्ध अपराध, महिला अधिकार, लैंगिक समानता, भारतीय न्याय संहिता, घरेलू हिंसा, दहेज मृत्यु, यौन उत्पीड़न, मानवाधिकार, न्यायिक संरक्षण।

## अध्याय 2: प्रस्तावना

### 1. महिलाओं के विरुद्ध अपराध की पृष्ठभूमि

भारतीय समाज में महिलाओं का स्थान सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। महिला परिवार की आधारशिला होने के साथ-साथ राष्ट्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है।

भारतीय संविधान ने महिलाओं को पुरुषों के समान संवैधानिक अधिकार प्रदान किए हैं। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 लिंग आधारित भेदभाव का निषेध तथा अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित करता है।

इसके बावजूद महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की समस्या बनी हुई है। इसका कारण केवल व्यक्तिगत आपराधिक प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि सामाजिक असमानता, पितृसत्तात्मक मानसिकता, आर्थिक निर्भरता, लैंगिक रूढ़िवादिता तथा संस्थागत कमियां भी हैं।

महिलाओं के विरुद्ध अपराधों का प्रभाव उनके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक जीवन तथा स्वतंत्रता पर पड़ता है।

इसलिए महिला सुरक्षा का प्रश्न केवल आपराधिक कानून तक सीमित न होकर संवैधानिक शासन, सामाजिक न्याय तथा मानवाधिकारों से भी संबंधित है।

## 2. महिलाओं के विरुद्ध अपराध का विधिक अर्थ

महिलाओं के विरुद्ध अपराध से आशय ऐसे दंडनीय कृत्यों से है जिनमें महिला को उसकी शारीरिक सुरक्षा, मानसिक स्वतंत्रता, यौन स्वायत्तता, संपत्ति, गरिमा अथवा समानता के अधिकार से वंचित किया जाता है।

ऐसे अपराधों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- शारीरिक हिंसा एवं मारपीट।
- यौन हिंसा एवं बलात्कार।
- घरेलू हिंसा।
- दहेज उत्पीड़न एवं दहेज मृत्यु।
- मानव तस्करी।
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न।
- एसिड हमला।
- साइबर स्टॉकिंग एवं ऑनलाइन उत्पीड़न।
- अपहरण एवं जबरन विवाह।
- महिला की गरिमा का अपमान करने वाले आपराधिक कृत्य।

महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की अवधारणा को समझने के लिए यह आवश्यक है कि कानून के उल्लंघन के साथ-साथ महिलाओं की स्वतंत्रता एवं गरिमा पर पड़ने वाले प्रभाव का भी अध्ययन किया जाए।

## 3. शोध का महत्व

यह शोध निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है:

1. महिलाओं के संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों की व्याख्या।
2. भारतीय न्याय संहिता के नए प्रावधानों का विश्लेषण।
3. महिला सुरक्षा संबंधी कानूनों के प्रभाव का अध्ययन।
4. न्यायिक निर्णयों के माध्यम से महिला अधिकारों का विकास।
5. अपराधों की रोकथाम हेतु विधिक एवं सामाजिक सुधारों की पहचान।
6. पीड़िता-केंद्रित न्याय व्यवस्था की आवश्यकता का परीक्षण।

## अध्याय 3-शोध समस्या

भारत में महिलाओं के संरक्षण के लिए अनेक संवैधानिक एवं वैधानिक प्रावधान मौजूद हैं। इसके बावजूद महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की घटनाएं दर्ज होती रहती हैं।

विधिक व्यवस्था का उद्देश्य केवल अपराधी को दंडित करना नहीं, बल्कि अपराध की रोकथाम, पीड़िता को संरक्षण, न्याय तक पहुंच तथा पुनर्वास सुनिश्चित करना भी है।

वर्तमान शोध की केंद्रीय समस्या यह है कि महिलाओं के संरक्षण हेतु विकसित भारतीय विधिक व्यवस्था और महिलाओं को व्यवहार में प्राप्त होने वाले वास्तविक न्याय के बीच किस सीमा तक अंतर विद्यमान है?

इस समस्या के अंतर्गत निम्नलिखित प्रश्न महत्वपूर्ण हैं:

1. क्या वर्तमान कानून महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के सभी प्रमुख स्वरूपों को पर्याप्त रूप से संबोधित करते हैं?
2. क्या प्राथमिकी दर्ज करने एवं जांच की प्रक्रिया पीड़िता के अनुकूल है?
3. क्या सामाजिक दबाव एवं आर्थिक निर्भरता अपराधों की रिपोर्टिंग को प्रभावित करते हैं?
4. क्या न्यायिक प्रक्रिया पीड़िता की गरिमा एवं निजता की रक्षा करती है?
5. क्या डिजिटल तकनीक से उत्पन्न अपराधों के विरुद्ध वर्तमान विधिक उपाय पर्याप्त रूप से लागू किए जा रहे हैं?
6. क्या अपराधों की रोकथाम में दंडात्मक कानून के साथ सामाजिक सुधार की भूमिका को पर्याप्त महत्व दिया गया है?

इन्हीं समस्याओं के विधिक एवं विश्लेषणात्मक परीक्षण के लिए प्रस्तुत शोध किया गया है।

## अध्याय 4-शोध के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की अवधारणा एवं प्रकृति का अध्ययन करना।
2. महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारणों का विश्लेषण करना।
3. भारतीय संविधान में निहित महिला अधिकारों का अध्ययन करना।
4. भारतीय न्याय संहिता, 2023 के महिला संबंधी प्रावधानों का विस्तृत परीक्षण करना।
5. घरेलू हिंसा, दहेज, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न एवं अन्य विशेष कानूनों का अध्ययन करना।
6. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत पीड़िता के संरक्षण का विश्लेषण करना।
7. महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों का अध्ययन करना।
8. NCRB के उपलब्ध अपराध आंकड़ों का विश्लेषण करना।
9. वर्तमान विधिक व्यवस्था की व्यावहारिक चुनौतियों की पहचान करना।

10. महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम हेतु सुधारात्मक सुझाव प्रस्तुत करना।

## अध्याय 5-शोध परिकल्पना

इस शोध में निम्नलिखित परिकल्पनाएं निर्धारित की गई हैं:

परिकल्पना 1: महिलाओं के विरुद्ध अपराधों का संबंध लैंगिक असमानता, पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना एवं आर्थिक निर्भरता से है।

परिकल्पना 2: महिलाओं की सुरक्षा हेतु कठोर दंडात्मक कानून आवश्यक हैं, किंतु उनका प्रभावी क्रियान्वयन अधिक महत्वपूर्ण है।

परिकल्पना 3: विधिक जागरूकता, शिक्षा एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता महिलाओं की न्याय तक पहुंच को प्रभावित करती हैं।

परिकल्पना 4: पीड़िता-केंद्रित आपराधिक न्याय व्यवस्था महिलाओं के अधिकारों एवं गरिमा के संरक्षण में सहायक हो सकती है।

परिकल्पना 5: महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए विधिक सुधारों के साथ सामाजिक एवं संस्थागत परिवर्तन भी आवश्यक हैं।

### 1. शोध प्रश्न

- महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की प्रकृति एवं प्रमुख स्वरूप क्या हैं?
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 महिलाओं को किस प्रकार संरक्षण प्रदान करती है?
- न्यायपालिका ने महिला गरिमा एवं समानता की अवधारणा को किस प्रकार विकसित किया है?
- अपराधों की रिपोर्टिंग, जांच एवं अभियोजन में कौन-सी चुनौतियां विद्यमान हैं?
- महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन-से विधिक एवं नीतिगत सुधार आवश्यक हैं?

## अध्याय 6-शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध में विधिक सिद्धांतों एवं उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक तथा आलोचनात्मक शोध पद्धति अपनाई गई है।

### 1. शोध का प्रकार

यह मुख्यतः Doctrinal Legal Research है। इसमें विधियों, न्यायिक निर्णयों, सरकारी रिपोर्टों एवं विधिक साहित्य का अध्ययन किया गया है।

## 2.प्राथमिक स्रोत

1. भारत का संविधान।
2. भारतीय न्याय संहिता, 2023।
3. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023।
4. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023।
5. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005।
6. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961।
7. कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, 2013।
8. सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के निर्णय।

## 3.द्वितीयक स्रोत

- NCRB की Crime in India रिपोर्ट।
- विधिक पुस्तकें एवं शोध पत्र।
- सरकारी मंत्रालयों की रिपोर्ट।
- विधिक पत्रिकाएं एवं अकादमिक लेख।

## 4.अध्ययन की सीमा

यह शोध भारत की विधिक व्यवस्था पर केंद्रित है। इसका विश्लेषण मुख्यतः उपलब्ध वैधानिक एवं दस्तावेजी स्रोतों पर आधारित है। इसमें स्वतंत्र प्राथमिक सर्वेक्षण या साक्षात्कार नहीं किए गए हैं।

इसलिए प्रस्तुत शोध निष्कर्षों को अनुभवजन्य सर्वेक्षण के निष्कर्ष के रूप में नहीं, बल्कि विधिक एवं दस्तावेजी विश्लेषण के रूप में समझा जाना चाहिए।

# अध्याय 7-महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की अवधारणा एवं प्रकृति

## 1.सामाजिक एवं विधिक अवधारणा

महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को समझने के लिए सामाजिक एवं विधिक दोनों दृष्टिकोण आवश्यक हैं।

विधिक दृष्टिकोण में अपराध वह कृत्य है जिसे विधि द्वारा निषिद्ध किया गया है और जिसके लिए दंड निर्धारित है। सामाजिक दृष्टिकोण में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का संबंध शक्ति संबंधों, लैंगिक असमानता एवं सामाजिक नियंत्रण से भी है।

महिला के विरुद्ध हिंसा सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों में घटित हो सकती है। घरेलू हिंसा निजी क्षेत्र का उदाहरण है, जबकि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न सार्वजनिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र से संबंधित है।

## 2. महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की विशेषताएं

1. अनेक अपराधों का संबंध लैंगिक असमानता से होता है।
2. अपराधी एवं पीड़िता के बीच पारिवारिक या परिचित संबंध हो सकते हैं।
3. कई अपराधों में सामाजिक प्रतिष्ठा एवं आर्थिक निर्भरता रिपोर्टिंग को प्रभावित करती है।
4. अपराधों के शारीरिक प्रभाव के साथ मानसिक एवं सामाजिक परिणाम भी होते हैं।
5. डिजिटल तकनीक ने अपराधों के नए स्वरूप उत्पन्न किए हैं।
6. पीड़िता की निजता एवं गरिमा की रक्षा न्यायिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग है।

## 3. अपराध एवं मानवाधिकार

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा के अधिकार को प्रभावित करती है।

मानवाधिकार का दृष्टिकोण यह स्थापित करता है कि महिला की सुरक्षा केवल राज्य की दंडात्मक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि राज्य पर प्रभावी संरक्षण, न्याय तक पहुंच एवं भेदभाव समाप्त करने का दायित्व भी है।

# अध्याय 8-महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के प्रमुख स्वरूप

## 1. दहेज उत्पीड़न एवं दहेज मृत्यु

दहेज प्रथा भारतीय समाज की एक गंभीर सामाजिक समस्या है। विवाह के संबंध में धन, संपत्ति या मूल्यवान वस्तुओं की मांग के कारण महिलाओं को मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 दहेज देने, लेने तथा मांगने को दंडनीय बनाता है।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 80 दहेज मृत्यु से संबंधित है। इसके अंतर्गत विवाह के सात वर्ष के भीतर महिला की मृत्यु जलने, शारीरिक चोट या सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में होने तथा मृत्यु से पूर्व दहेज की मांग के संबंध में पति या उसके संबंधियों द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न किए जाने की आवश्यक परिस्थितियां स्थापित होने पर दहेज मृत्यु का अपराध बनता है।

यह प्रावधान विवाह संस्था के भीतर महिलाओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

## 2. बलात्कार एवं यौन हिंसा

यौन हिंसा महिला की शारीरिक स्वतंत्रता, यौन स्वायत्तता एवं गरिमा का गंभीर उल्लंघन है।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 बलात्कार की परिभाषा प्रदान करती है तथा धारा 64 इसके लिए दंड निर्धारित करती है।

यौन अपराधों के मामलों में सहमति की अवधारणा महत्वपूर्ण है। सहमति स्वतंत्र, स्वेच्छिक एवं विशिष्ट होनी चाहिए। भय, दबाव या विधि में वर्णित अन्य परिस्थितियों में प्राप्त सहमति को कानून के अनुसार परखा जाता है।

बलात्कार संबंधी मामलों में पीड़िता के चरित्र या पूर्व यौन अनुभव को उसके कथन की विश्वसनीयता के स्थानापन्न के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

### 3. घरेलू हिंसा

घरेलू हिंसा एक व्यापक अवधारणा है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- शारीरिक हिंसा।
- लैंगिक हिंसा।
- मौखिक एवं भावनात्मक दुर्व्यवहार।
- आर्थिक दुर्व्यवहार।
- धमकी एवं उत्पीड़न।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पीड़िता को संरक्षण आदेश, निवास आदेश, आर्थिक राहत, अभिरक्षा आदेश एवं क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के वैधानिक उपाय उपलब्ध हैं।

इस अधिनियम का महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि यह केवल आपराधिक दंड तक सीमित न रहकर पीड़िता को तत्काल एवं व्यावहारिक राहत उपलब्ध कराने का प्रयास करता है।

### 4. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न महिला की गरिमा, समान अवसर एवं सुरक्षित कार्य वातावरण के अधिकार को प्रभावित करता है।

विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के निर्णय के बाद कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, 2013 लागू किया गया।

इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित संस्थानों में आंतरिक शिकायत समिति तथा जहां कानून लागू होता है वहां स्थानीय शिकायत समिति की व्यवस्था की गई है।

कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना नियोक्ता की वैधानिक जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

## 5.मानव तस्करी

मानव तस्करी महिलाओं एवं बालिकाओं की स्वतंत्रता, गरिमा एवं शारीरिक स्वायत्तता के विरुद्ध गंभीर अपराध है।

इसमें शोषण, यौन व्यापार, जबरन श्रम तथा अन्य अवैध उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों की भर्ती, परिवहन, आश्रय या प्राप्ति शामिल हो सकती है।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 143 मानव तस्करी तथा धारा 144 तस्करी किए गए व्यक्ति के शोषण से संबंधित है।

मानव तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई में दंडात्मक उपायों के साथ पीड़ितों की पहचान, संरक्षण, पुनर्वास एवं सामाजिक पुनर्स्थापन भी महत्वपूर्ण हैं।

## 6.एसिड हमला

एसिड हमला महिला के शरीर, स्वास्थ्य, पहचान एवं गरिमा को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 124 एसिड हमले से संबंधित है। इसमें एसिड के उपयोग से गंभीर चोट पहुंचाने तथा एसिड फेंकने या फेंकने का प्रयास करने के लिए दंड का प्रावधान है।

एसिड हमले की पीड़िता को चिकित्सा, पुनर्निर्माण उपचार, मनोसामाजिक सहायता एवं पुनर्वास की आवश्यकता हो सकती है।

## 7.साइबर अपराध एवं ऑनलाइन उत्पीड़न

डिजिटल तकनीक के विकास के साथ महिलाओं के विरुद्ध अपराधों का स्वरूप भी परिवर्तित हुआ है।

प्रमुख साइबर अपराध हैं:

1. साइबर स्टॉकिंग।
2. निजी तस्वीरों का अनधिकृत प्रसार।
3. फर्जी प्रोफाइल बनाना।
4. ऑनलाइन धमकी।
5. डिजिटल ब्लैकमेलिंग।
6. अश्लील सामग्री का प्रसारण।
7. पहचान का दुरुपयोग।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 पीछा करने (Stalking) तथा धारा 77 दृश्यरतिकता (Voyeurism) से संबंधित है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रासंगिक प्रावधान भी परिस्थितियों के अनुसार लागू हो सकते हैं।

# अध्याय 9-भारतीय संविधान के अंतर्गत महिलाओं का संरक्षण

भारतीय संविधान महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए समानता, स्वतंत्रता, गरिमा एवं सामाजिक न्याय पर आधारित व्यवस्था प्रदान करता है।

## 1.अनुच्छेद 14: विधि के समक्ष समानता

अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समानता एवं विधियों के समान संरक्षण की गारंटी देता है।

महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के संदर्भ में यह अनुच्छेद राज्य को समान एवं निष्पक्ष विधिक संरक्षण प्रदान करने का संवैधानिक आधार देता है।

## 2.अनुच्छेद 15: भेदभाव का निषेध

अनुच्छेद 15(1) राज्य को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है।

अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है।

यह प्रावधान महिलाओं के संरक्षण हेतु विशेष कानूनों की संवैधानिक वैधता का आधार प्रदान करता है।

## 3.अनुच्छेद 21: जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता

अनुच्छेद 21 महिलाओं के जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का आधार है।

न्यायिक व्याख्या के अंतर्गत जीवन के अधिकार को केवल शारीरिक अस्तित्व तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि मानवीय गरिमा एवं व्यक्तिगत स्वायत्तता से भी जोड़ा गया है।

महिलाओं के विरुद्ध यौन हिंसा, घरेलू हिंसा एवं अन्य गंभीर अपराध इस अधिकार को प्रभावित करते हैं।

## 4.अनुच्छेद 39(d): समान कार्य के लिए समान वेतन

राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 39(d) पुरुषों एवं महिलाओं के लिए समान कार्य के समान वेतन की दिशा निर्धारित करता है।

## 5.अनुच्छेद 42: मानवीय कार्य दशाएं

अनुच्छेद 42 राज्य को न्यायसंगत एवं मानवीय कार्य दशाएं तथा प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान बनाने का निर्देश देता है।

## 6.अनुच्छेद 51A(e): मूल कर्तव्य

प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है कि वह ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध हैं।

इस प्रकार संविधान महिलाओं की सुरक्षा को केवल राज्य का दायित्व नहीं मानता, बल्कि सामाजिक एवं नागरिक उत्तरदायित्व से भी जोड़ता है।

# अध्याय 10-भारतीय न्याय संहिता, 2023 का विस्तृत

## विधिक विश्लेषण

भारतीय न्याय संहिता, 2023 अधिनियम संख्या 45, 2023 है। यह 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हुई। इसके अध्याय V में महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों को एक साथ व्यवस्थित किया गया है।

## 1.महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित प्रमुख

| धारा | अपराध / विषय                                      |
|------|---------------------------------------------------|
| 63   | बलात्कार की परिभाषा                               |
| 64   | बलात्कार के लिए दंड                               |
| 65   | कुछ मामलों में बलात्कार के लिए दंड                |
| 66   | बलात्कार के कारण मृत्यु या लगातार अचेत अवस्था     |
| 67   | पृथक रह रही पत्नी के साथ पति द्वारा यौन संबंध     |
| 68   | प्राधिकार में व्यक्ति द्वारा यौन संबंध            |
| 69   | छलपूर्ण साधनों आदि से यौन संबंध                   |
| 70   | सामूहिक बलात्कार                                  |
| 71   | पुनरावृत्ति करने वाले अपराधियों के लिए दंड        |
| 72   | पीड़िता की पहचान का प्रकटीकरण                     |
| 73   | न्यायालय की कार्यवाही के प्रकाशन से संबंधित अपराध |

- 74 महिला की लज्जा भंग करने के आशय से हमला या आपराधिक बल
- 75 लैंगिक उत्पीड़न
- 76 निर्वस्त्र करने के आशय से हमला
- 77 दृश्यरतिकता
- 78 पीछा करना
- 79 महिला की लज्जा का अपमान करने के आशय से शब्द, संकेत या कृत्य
- 80 दहेज मृत्यु
- 81 विधिपूर्ण विवाह का विश्वास उत्पन्न कर सहवास
- 82 पति या पत्नी के जीवित रहते पुनर्विवाह
- 83 धोखे से विवाह समारोह संपन्न करना
- 84 विवाहित महिला को आपराधिक आशय से ले जाना या रोकना
- 85 पति या उसके संबंधियों द्वारा क्रूरता
- 86 क्रूरता की परिभाषा
- 87 महिला का विवाह आदि के लिए अपहरण या प्रेरित करना
- 88 गर्भपात कारित करना
- 89 महिला की सहमति के बिना गर्भपात कारित करना
- 90 गर्भपात कराने के आशय से किए गए कृत्य से मृत्यु
- 91 बच्चे को जीवित जन्म लेने से रोकना या जन्म के बाद मृत्यु कारित करना
- 92 गर्भस्थ शिशु की मृत्यु कारित करना
- 93-99 बच्चों के विरुद्ध विभिन्न अपराध

इन प्रावधानों का आधिकारिक पाठ India Code में उपलब्ध है।

## 2. धारा 63: बलात्कार की परिभाषा

धारा 63 बलात्कार के अपराध की विधिक परिभाषा निर्धारित करती है।

इसमें महिला की इच्छा के विरुद्ध, उसकी सहमति के बिना तथा कानून में निर्दिष्ट परिस्थितियों में किए गए यौन कृत्यों को शामिल किया गया है।

इस धारा का अध्ययन करते समय सहमति की प्रकृति, आयु, वैधानिक अपवाद एवं अपराध की परिस्थितियों का विश्लेषण आवश्यक है।

### 3. धारा 64: बलात्कार के लिए दंड

धारा 64 बलात्कार के लिए दंड निर्धारित करती है। सामान्य मामलों में कठोर कारावास की न्यूनतम अवधि तथा अन्य गंभीर परिस्थितियों के लिए अलग दंड व्यवस्था निर्धारित है।

यह प्रावधान यौन अपराधों के विरुद्ध दंडात्मक न्याय का महत्वपूर्ण आधार है।

### 4. धारा 69: छलपूर्ण साधनों से यौन संबंध

धारा 69 में छलपूर्ण साधनों या कुछ परिस्थितियों में विवाह का वचन पूरा करने के आशय के बिना यौन संबंध स्थापित करने के लिए दंड का प्रावधान है, बशर्ते कृत्य बलात्कार की श्रेणी में न आता हो।

यह धारा विवाह के झूठे वचन, रोजगार, पदोन्नति या पहचान छिपाने जैसे निर्दिष्ट छलपूर्ण साधनों से संबंधित है।

इस धारा का प्रयोग करते समय तथ्यों, आशय एवं वैधानिक तत्वों का सावधानीपूर्वक परीक्षण आवश्यक है।

### 5. धारा 70: सामूहिक बलात्कार

धारा 70 सामूहिक बलात्कार से संबंधित है। यह अपराध की गंभीरता के अनुसार कठोर दंड निर्धारित करती है।

न्यायिक प्रक्रिया में प्रत्येक आरोपी की भूमिका, साझा आशय तथा वैधानिक तत्वों का परीक्षण आवश्यक है।

### 6. धारा 75: लैंगिक उत्पीड़न

धारा 75 में निम्नलिखित कृत्यों को लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत शामिल किया गया है:

- अवांछित शारीरिक संपर्क एवं स्पष्ट यौन प्रस्ताव।
- यौन अनुग्रह की मांग।
- महिला की इच्छा के विरुद्ध अश्लील सामग्री दिखाना।
- लैंगिक प्रकृति की टिप्पणियां करना।

यह प्रावधान महिलाओं के सम्मान एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

## 7. धारा 78: पीछा करना

धारा 78 के अंतर्गत महिला का पीछा करना तथा उसकी इच्छा के विरुद्ध संपर्क स्थापित करने का प्रयास, कानून में वर्णित परिस्थितियों में, दंडनीय है।

डिजिटल माध्यमों द्वारा लगातार संपर्क एवं निगरानी के मामलों में तथ्यों के अनुसार अन्य लागू कानूनों का भी परीक्षण आवश्यक है।

## 8. धारा 80: दहेज मृत्यु

धारा 80 दहेज मृत्यु के अपराध से संबंधित है।

इस प्रावधान का उद्देश्य विवाह के संबंध में दहेज की मांग के कारण महिला की मृत्यु जैसी गंभीर परिस्थितियों को दंडात्मक विधि के अंतर्गत संबोधित करना है।

दहेज मृत्यु के मामलों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 118 के अंतर्गत वैधानिक उपधारणा भी प्रासंगिक हो सकती है, जब उसकी आवश्यक शर्तें पूरी हों।

## 9. धारा 85 एवं 86: पति या संबंधियों द्वारा क्रूरता

धारा 85 पति या उसके संबंधियों द्वारा महिला के प्रति क्रूरता के लिए दंड निर्धारित करती है।

धारा 86 क्रूरता की परिभाषा प्रदान करती है। इसमें ऐसे जानबूझकर किए गए आचरण को शामिल किया गया है जिससे महिला को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने या उसके जीवन, अंग अथवा मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति या खतरा उत्पन्न होने की संभावना हो, तथा अवैध संपत्ति की मांग पूरी कराने के लिए उत्पीड़न भी शामिल है।

यह प्रावधान विवाह संबंधों में महिला की सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण दंडात्मक उपाय है।

# अध्याय 11-महिलाओं के संरक्षण हेतु विशेष अधिनियम

## 1. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 का उद्देश्य दहेज प्रथा का निषेध करना है।

इसके प्रमुख प्रावधान हैं:

| धारा   | विषय            |
|--------|-----------------|
| धारा 2 | दहेज की परिभाषा |

- धारा 3 दहेज देने या लेने के लिए दंड
- धारा 4 दहेज मांगने के लिए दंड
- धारा 4A दहेज संबंधी विज्ञापन का निषेध
- धारा 6 दहेज का महिला के लाभ के लिए होना
- धारा 8 अपराधों की प्रकृति

इस अधिनियम का उद्देश्य विवाह को आर्थिक लेन-देन का माध्यम बनने से रोकना तथा महिलाओं की गरिमा एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।

## 2. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005

यह अधिनियम महिलाओं को घरेलू संबंधों में होने वाली हिंसा से संरक्षण प्रदान करता है।

इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं:

| धारा | विषय                               |
|------|------------------------------------|
| 3    | घरेलू हिंसा की परिभाषा             |
| 4    | संरक्षण अधिकारी को सूचना           |
| 5    | पुलिस, सेवा प्रदाता आदि के कर्तव्य |
| 9    | संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य         |
| 12   | मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन          |
| 17   | साझा गृहस्थी में निवास का अधिकार   |
| 18   | संरक्षण आदेश                       |
| 19   | निवास आदेश                         |
| 20   | आर्थिक राहत                        |
| 21   | अभिरक्षा आदेश                      |
| 22   | क्षतिपूर्ति आदेश                   |
| 23   | अंतरिम एवं एकपक्षीय आदेश           |
| 31   | संरक्षण आदेश का उल्लंघन            |

इस अधिनियम की विशेषता यह है कि यह महिला को केवल दंडात्मक न्याय नहीं, बल्कि निवास, आर्थिक सहायता एवं सुरक्षा संबंधी राहत भी उपलब्ध कराता है।

## 3. कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, 2013

इस अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराना है।

प्रमुख प्रावधान:

- धारा 3: कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का निषेध।
- धारा 4: आंतरिक शिकायत समिति।
- धारा 6: स्थानीय शिकायत समिति।
- धारा 9: शिकायत प्रस्तुत करना।
- धारा 11: शिकायत की जांच।
- धारा 12: जांच लंबित रहने के दौरान अंतरिम राहत।
- धारा 16: शिकायत की विषयवस्तु एवं पहचान की गोपनीयता।
- धारा 19: नियोक्ता के कर्तव्य।

यह अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं की गरिमा एवं समान अवसर की रक्षा करता है।

## 4. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006

बाल विवाह महिलाओं एवं बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता एवं विकास को प्रभावित करता है।

इस अधिनियम का उद्देश्य बाल विवाह को रोकना तथा संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करना है।

## 5. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

महिलाओं के विरुद्ध डिजिटल अपराधों में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान परिस्थितियों के अनुसार महत्वपूर्ण हो सकते हैं:

- धारा 66E: निजता का उल्लंघन।
- धारा 67: इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण।
- धारा 67A: यौन रूप से स्पष्ट सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन या प्रसारण।

इन प्रावधानों का प्रयोग संबंधित अपराध के वैधानिक तत्वों के आधार पर किया जाता है।

# अध्याय 12-भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की भूमिका

महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में केवल अपराध की परिभाषा एवं दंड निर्धारित करना पर्याप्त नहीं है। जांच, साक्ष्य, अभियोजन एवं न्यायिक प्रक्रिया भी प्रभावी होनी चाहिए।

## 1. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

महिला संबंधी अपराधों की प्रक्रिया में निम्नलिखित प्रावधान विशेष महत्व रखते हैं:

| धारा | विषय                                                  |
|------|-------------------------------------------------------|
| 173  | संज्ञेय अपराध की सूचना                                |
| 176  | पुलिस द्वारा जांच की प्रक्रिया                        |
| 183  | स्वीकारोक्ति एवं कथनों का अभिलेखन                     |
| 184  | बलात्कार पीड़िता की चिकित्सकीय जांच                   |
| 193  | पुलिस रिपोर्ट                                         |
| 346  | जांच या विचारण में अनावश्यक विलंब से संबंधित समय सीमा |

BNSS की धारा 173 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध की सूचना, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा सूचना देने की व्यवस्था भी सम्मिलित है, महत्वपूर्ण है।

महिलाओं के विरुद्ध निर्दिष्ट यौन अपराधों में पीड़िता का कथन महिला पुलिस अधिकारी या महिला अधिकारी द्वारा दर्ज किए जाने संबंधी विशेष प्रक्रिया भी कानून में उपलब्ध है।

## 2. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 ने साक्ष्य संबंधी विधि को नए रूप में व्यवस्थित किया है।

महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में निम्नलिखित प्रावधान महत्वपूर्ण हैं:

- धारा 48: कुछ मामलों में लैंगिक इतिहास या चरित्र की प्रासंगिकता।
- धारा 120: विवाह के दौरान जन्म संबंधी वैधानिक उपधारणा।
- धारा 118: दहेज मृत्यु के संबंध में उपधारणा।
- धारा 124: सहमति से संबंधित प्रश्नों में साक्ष्य का महत्व।

विशेष रूप से यौन अपराधों में महिला के पूर्व यौन अनुभव को सहमति सिद्ध करने के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण पीड़िता की गरिमा एवं न्यायिक निष्पक्षता दोनों की रक्षा करता है।

## अध्याय 13-महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

भारतीय न्यायपालिका ने महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों, गरिमा, समानता एवं सुरक्षा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

### 1. Vishaka v. State of Rajasthan, AIR1997 SC

#### तथ्य

राजस्थान में कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ता भंवरी देवी के साथ हुई घटना के बाद कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया।

## **निर्णय**

सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए विशाखा दिशानिर्देश निर्धारित किए।

## **विधिक महत्व**

1. महिलाओं के सुरक्षित कार्यस्थल के अधिकार को मान्यता।
2. अनुच्छेद 14, 15, 19 एवं 21 की व्याख्या।
3. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध संस्थागत जिम्मेदारी।
4. बाद में 2013 के विशेष अधिनियम के निर्माण के लिए आधार।

## **2.State of Punjab v. Gurmit Singh,(1996)SCC**

## **निर्णय**

सर्वोच्च न्यायालय ने बलात्कार के मामलों में पीड़िता की गवाही के मूल्य तथा न्यायिक संवेदनशीलता पर महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए।

## **विधिक महत्व**

पीड़िता की गवाही का मूल्यांकन रूढ़िवादी सामाजिक धारणाओं के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय को मामले की परिस्थितियों एवं साक्ष्य का निष्पक्ष परीक्षण करना चाहिए।

## **3.Bodhisattwa Gautam v. Subhra Chakraborty, (1996) SCC**

## **निर्णय**

सर्वोच्च न्यायालय ने बलात्कार को महिला की गरिमा एवं मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन के रूप में देखा।

## **विधिक महत्व**

न्यायालय ने उपयुक्त परिस्थितियों में अंतरिम क्षतिपूर्ति की अवधारणा को मान्यता दी।

यह निर्णय पीड़िता-केंद्रित न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण है।

## **4.Laxmi v. Union of India, (2014) SCC**

## **विषय**

एसिड हमले की पीड़िताओं के संरक्षण एवं पुनर्वास से संबंधित मामला।

## विधिक महत्व

सर्वोच्च न्यायालय ने एसिड की बिक्री के नियमन, पीड़िताओं के उपचार तथा क्षतिपूर्ति संबंधी निर्देश दिए।

यह निर्णय दर्शाता है कि महिला सुरक्षा केवल अपराधी को दंडित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि पीड़िता के जीवन एवं पुनर्वास की रक्षा भी आवश्यक है।

## 5.Independent Thought v. Union of India (2017) SCC

### विषय

नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध से संबंधित वैधानिक अपवाद का प्रश्न।

### निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम आयु की पत्नी के संबंध में वैधानिक अपवाद को सीमित करते हुए बालिका के यौन संरक्षण को महत्व दिया।

## विधिक महत्व

यह निर्णय बालिकाओं की शारीरिक स्वायत्तता एवं संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है।

## अध्याय 14-महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के कारण

### 1.पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था

पितृसत्तात्मक व्यवस्था में निर्णय लेने की शक्ति एवं सामाजिक नियंत्रण पुरुषों के हाथों में अधिक केंद्रित हो सकता है।

इस प्रकार की असमानता महिलाओं की स्वतंत्रता, शिक्षा, रोजगार तथा वैवाहिक निर्णयों को प्रभावित कर सकती है।

### 2.लैंगिक भेदभाव

लड़का एवं लड़की के बीच सामाजिक व्यवहार, शिक्षा, संपत्ति एवं अवसरों में अंतर महिलाओं की सामाजिक स्थिति को प्रभावित करता है।

लैंगिक समानता का अभाव महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को सहन करने वाली सामाजिक परिस्थितियों को बनाए रख सकता है।

### 3.आर्थिक निर्भरता

आर्थिक रूप से निर्भर महिला के लिए हिंसक संबंध से बाहर निकलना कठिन हो सकता है।

आर्थिक निर्भरता शिकायत दर्ज कराने, सुरक्षित आवास प्राप्त करने तथा न्यायिक प्रक्रिया में भाग लेने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकती है।

### 4.विधिक जागरूकता का अभाव

कई महिलाओं को अपने अधिकारों, शिकायत प्रक्रिया, निःशुल्क विधिक सहायता तथा उपलब्ध संरक्षण आदेशों की जानकारी नहीं होती।

विधिक साक्षरता महिलाओं की न्याय तक पहुंच को बढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन है।

### 5.सामाजिक कलंक

यौन अपराध एवं घरेलू हिंसा के मामलों में पीड़िता को दोषी ठहराने वाली सामाजिक मानसिकता शिकायत दर्ज कराने में बाधा बन सकती है।

इससे अपराधों की रिपोर्टिंग प्रभावित होती है तथा पीड़िता को द्वितीयक पीड़न का सामना करना पड़ सकता है।

### 6.डिजिटल तकनीक का दुरुपयोग

सोशल मीडिया, डिजिटल संचार एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तकनीकों के दुरुपयोग से महिलाओं की निजता एवं प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है।

ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिए तकनीकी जांच, डिजिटल साक्ष्य संरक्षण तथा प्रभावी विधिक उपाय आवश्यक हैं।

# अध्याय 15-वर्तमान विधिक व्यवस्था की चुनौतियां

## 1.अपराधों की कम रिपोर्टिंग

कई मामलों में सामाजिक दबाव, पारिवारिक निर्भरता, भय एवं प्रतिष्ठा की चिंता के कारण महिलाएं शिकायत दर्ज नहीं करातीं।

इससे अपराधों की वास्तविक स्थिति का आकलन कठिन हो जाता है।

## 2.जांच में विलंब

जांच में देरी से साक्ष्य प्रभावित हो सकते हैं तथा पीड़िता को लंबे समय तक मानसिक एवं सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है।

## 3.पीड़िता की निजता

यौन अपराधों में पीड़िता की पहचान एवं निजी जानकारी का संरक्षण आवश्यक है।

मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म तथा न्यायिक प्रक्रिया में गोपनीयता संबंधी नियमों का पालन किया जाना चाहिए।

## 4.न्यायिक प्रक्रिया की जटिलता

कानूनी प्रक्रिया, दस्तावेजी आवश्यकताओं एवं न्यायालयीन कार्यवाही की जटिलता महिलाओं की न्याय तक पहुंच को प्रभावित कर सकती है।

## 5.ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक सहायता

दूरस्थ क्षेत्रों में पुलिस, विधिक सेवा प्राधिकरण, संरक्षण अधिकारियों एवं सहायता केंद्रों तक पहुंच सीमित हो सकती है।

## 6.साइबर अपराधों की जांच

डिजिटल साक्ष्य शीघ्र नष्ट या परिवर्तित हो सकते हैं। इसलिए तकनीकी प्रशिक्षण, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का संरक्षण तथा संस्थागत समन्वय आवश्यक है।

## 7.कानून एवं व्यवहार के बीच अंतर

किसी कानून का अस्तित्व अपने आप प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित नहीं करता। उसके क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक उत्तरदायित्व, संसाधन, प्रशिक्षण एवं निगरानी आवश्यक हैं।

## अध्याय 16-महिला सुरक्षा हेतु सुधारात्मक सुझाव

प्रस्तुत शोध के आधार पर निम्नलिखित सुझाव दिए जाते हैं:

### 1.विधिक जागरूकता

विद्यालयों, विश्वविद्यालयों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में महिला अधिकारों तथा कानूनी उपचारों के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

### 2.पुलिस व्यवस्था में सुधार

पुलिस अधिकारियों को लैंगिक संवेदनशीलता, पीड़िता से संवाद, डिजिटल साक्ष्य एवं यौन अपराधों की जांच का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

### 3.पीड़िता-केंद्रित न्याय

न्यायिक प्रक्रिया में पीड़िता की गरिमा, निजता, सुरक्षा एवं मानसिक स्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

### 4.समयबद्ध जांच एवं विचारण

गंभीर अपराधों में जांच एवं विचारण को अनावश्यक विलंब से बचाने के लिए संस्थागत निगरानी एवं पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

### 5.निःशुल्क विधिक सहायता

आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से प्रभावी कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

## 6.आर्थिक सशक्तीकरण

महिलाओं की शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार एवं संपत्ति संबंधी अधिकारों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

## 7.साइबर सुरक्षा

महिलाओं को डिजिटल गोपनीयता, ऑनलाइन शिकायत प्रक्रिया एवं साइबर अपराधों के विरुद्ध उपलब्ध कानूनी उपायों की जानकारी दी जानी चाहिए।

## 8.पुनर्वास व्यवस्था

यौन हिंसा, घरेलू हिंसा, मानव तस्करी एवं एसिड हमले की पीड़िताओं के लिए चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक सहायता, आश्रय एवं आर्थिक पुनर्वास की व्यवस्था मजबूत की जानी चाहिए।

## 9.संस्थागत उत्तरदायित्व

पुलिस, अभियोजन, न्यायपालिका, संरक्षण अधिकारियों एवं शिकायत समितियों के कार्यों की नियमित समीक्षा की जानी चाहिए।

## 10.सामाजिक परिवर्तन

महिलाओं के प्रति सम्मान, समानता एवं स्वतंत्रता की भावना विकसित करने के लिए परिवार, शिक्षा संस्थानों एवं समाज की सक्रिय भूमिका आवश्यक है।

## अध्याय 17-शोध निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध के विधिक एवं दस्तावेजी अध्ययन से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं:

प्रथम, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की समस्या बहुआयामी है। इसका संबंध केवल आपराधिक व्यवहार से नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक एवं संस्थागत परिस्थितियों से भी है।

द्वितीय, भारतीय संविधान महिलाओं को समानता, स्वतंत्रता एवं गरिमा के व्यापक अधिकार प्रदान करता है।

तृतीय, भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों को एक पृथक अध्याय में व्यवस्थित किया है, जिससे संबंधित दंडात्मक प्रावधानों का अध्ययन अधिक केंद्रित हुआ है।

चतुर्थ, घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम महिला संरक्षण के विभिन्न आयामों को संबोधित करते हैं।

पंचम, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों ने महिलाओं की गरिमा, यौन स्वायत्तता, समानता एवं सुरक्षित वातावरण के अधिकार को विकसित किया है।

षष्ठ, NCRB के आंकड़े दर्ज अपराधों की स्थिति का महत्वपूर्ण संकेत देते हैं, लेकिन इन्हें वास्तविक अपराधों की संपूर्ण संख्या नहीं माना जा सकता।

सप्तम, विधिक संरक्षण की प्रभावशीलता पुलिस जांच, साक्ष्य संकलन, न्यायिक प्रक्रिया एवं पीड़िता को उपलब्ध सहायता पर निर्भर करती है।

अष्टम, महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता, शिक्षा एवं कानूनी जागरूकता उनके अधिकारों के व्यावहारिक उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

नवम, साइबर अपराधों के बदलते स्वरूप के कारण तकनीकी क्षमता एवं डिजिटल साक्ष्य संबंधी संस्थागत सुधार आवश्यक हैं।

दशम, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए विधिक सुधारों के साथ सामाजिक परिवर्तन एवं संस्थागत जवाबदेही आवश्यक है।

## अध्याय 18-उपसंहार

महिलाओं के विरुद्ध अपराध भारतीय समाज के समक्ष उपस्थित एक गंभीर संवैधानिक, विधिक एवं सामाजिक चुनौती है। यह समस्या महिलाओं के जीवन, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा तथा मानवाधिकारों को प्रभावित करती है।

भारतीय संविधान ने महिलाओं को समानता एवं स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान किए हैं। भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा विभिन्न विशेष अधिनियमों के माध्यम से महिलाओं के संरक्षण के लिए व्यापक विधिक व्यवस्था विकसित की गई है।

न्यायपालिका ने भी विभिन्न निर्णयों के माध्यम से महिलाओं की गरिमा, यौन स्वायत्तता, सुरक्षित कार्यस्थल तथा न्याय तक पहुंच के अधिकारों को मान्यता प्रदान की है।

फिर भी यह स्वीकार करना आवश्यक है कि विधिक प्रावधानों की वास्तविक सफलता उनके प्रभावी क्रियान्वयन में निहित है। यदि पीड़िता भय, सामाजिक दबाव, आर्थिक निर्भरता अथवा संस्थागत कठिनाइयों के कारण न्याय प्राप्त नहीं कर पाती, तो विधिक संरक्षण का उद्देश्य अधूरा रह जाता है।

महिलाओं के विरुद्ध अपराधों का समाधान केवल कठोर दंड निर्धारित करने में नहीं, बल्कि ऐसी सामाजिक व्यवस्था विकसित करने में है जिसमें महिलाओं को समान अवसर, स्वतंत्र निर्णय, आर्थिक सुरक्षा तथा सम्मानजनक जीवन प्राप्त हो।

इसलिए राज्य, न्यायपालिका, पुलिस, शैक्षणिक संस्थानों, परिवार एवं समाज को संयुक्त रूप से कार्य करना होगा।

अंततः निष्कर्ष यह है कि महिला सुरक्षा, महिला गरिमा एवं लैंगिक समानता एक न्यायपूर्ण लोकतांत्रिक समाज की अनिवार्य शर्तें हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम तभी सार्थक होगी जब कानून का प्रभावी क्रियान्वयन सामाजिक चेतना एवं संवैधानिक मूल्यों के साथ जुड़ा हो।

## संदर्भ सूची

### A. संवैधानिक एवं वैधानिक स्रोत

1. The Constitution of India, 1950.
2. The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, Act No. 45 of 2023.
3. The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023.
4. The Bharatiya Sakshya Adhinyam, 2023.
5. The Dowry Prohibition Act, 1961.
6. The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005.
7. The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.
8. The Prohibition of Child Marriage Act, 2006.
9. The Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956.
10. The Information Technology Act, 2000.

### B. महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

1. Vishaka v. State of Rajasthan, AIR 1997 SC 3011.
2. State of Punjab v. Gurmit Singh, (1996) 2 SCC 384.
3. Bodhisattwa Gautam v. Subhra Chakraborty, (1996) 1 SCC 490.
4. Laxmi v. Union of India, (2014) 4 SCC 427.
5. Independent Thought v. Union of India, (2017) 10 SCC 800.
6. Shayara Bano v. Union of India, (2017) 9 SCC 1.
7. Joseph Shine v. Union of India, (2019) 3 SCC 39.